

न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

प्रकरण सं०.....84/2016

निर्णय दिनांक 07/12/2016

सरकार बनाम कबीरसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत

प्रकरण का प्रकार: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91

यह प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी जालवाली की रिपोर्टनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू की गई ।

अप्रार्थी श्री कबीरसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत साकिन लाखपुरा गाम जालवाली खसरा नं. 1456 जो कि रिकार्ड में 17.70 हे० भूमि दर्ज है में से 5.00 हे० भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है ।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किय गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है ।

अतः अप्रार्थी श्री कबीरसिंह राजपूत को नाजायज कब्जा करने पर गाम जालवाली के खसरा नं. 1456 रकबा 5.00 हे० भूमि का सम्बन्ध 2073 का अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा लगान राशि न्यूनतम एक हेक्टेयर की कुल दर रूपये 0.55 की दर से 5.00 हे० का 20 गुणा रूपये 55/- अक्षरे रूपये पचास मात्र - तावान कायम किया जाता है तथा उक्त अतिक्रमी का तुरन्त 11.3 भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त रिपोर्ट पेश करें तथा मांग कायमी टी.आर.को दर्ज करवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक 07/12/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर